

डी०एल०एड० (पूर्व प्रचलित नाम बी०टी०सी०) प्रशिक्षण 2021 में ऑन लाइन आवेदन हेतु सामान्य दिशा निर्देश

डी०एल०एड० प्रशिक्षण 2021 हेतु निर्गत शासनादेश सं० 9/2021/402/अरसठ-4-2021-9(3)/2021 बेसिक शिक्षा अनुभाग-4, दिनांक 16.06.2021 एवं शासनादेश सं० 426/68-4-2019-2067/2013 बेसिक शिक्षा अनुभाग-4, लखनऊ दिनांक 25.06.2019 के अनुपालन में, प्रदेश के शासकीय संस्थानों एवं निजी प्रशिक्षण संस्थानों जिन्हें एन०सी०टी०ई० की मान्यता के उपरान्त प्रदेश शासन द्वारा सम्बद्धता प्रदान की गयी है, में डी०एल०एड० प्रशिक्षण 2021 में चयन हेतु ऑन लाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इस हेतु इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थी सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को **दिनांक 20.07.2021** की अपराह्न से वेबसाइट <https://updeled.gov.in> पर ऑन लाइन पंजीकरण/आवेदन कर सकते हैं। ऑन लाइन आवेदन के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्रेषित किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

प्रदेश में डी०एल०एड० (पूर्व नाम बी०टी०सी०) प्रशिक्षण के अन्तर्गत चयन हेतु ऑन-लाइन आवेदन/चयन प्रक्रिया निम्नवत् दिशा निर्देशों के अनुसार की जाएगी –

1— **डी०एल०एड० (D.El.Ed.) प्रशिक्षण –**

प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण का सेवापूर्व दो वर्षीय प्रशिक्षण कोर्स होगा, जिसे पूर्व में प्रदेश में बेसिक टीचर सर्टीफिकेट (बी०टी०सी०) प्रशिक्षण के नाम से जाना जाता था, एन०सी०टी०ई० विनियमावली 2014 परिशिष्ट 2 के अनुसार अब इस कोर्स को डिप्लोमा इन एलीमेन्ट्री एजूकेशन (D.El.Ed.) कहा जाता है। ऑन-लाइन आवेदन पत्र के प्रारूप को e-आवेदन पत्र कहा जायेगा।

2— **प्रशिक्षण हेतु आवेदन—**

डी०एल०एड० प्रशिक्षण 2021 होने वाले प्रशिक्षण सत्रों के अन्तर्गत अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को आवेदन हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक एवं आयु सम्बन्धित अर्हता पूर्ण करना अनिवार्य है। ऑन लाइन आवेदन के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। डाक द्वारा व अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार/मान्य नहीं होंगे।

आवेदकों द्वारा किसी भी एक जनपद अथवा गृह जनपद से एक ही आवेदन किया जायेगा। उसके द्वारा किया गया आवेदन प्रदेश के समस्त जनपदों के राजकीय (डायट) एवं निजी डी०एल०एड० प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु मान्य होगा।

3— **सीटों पर चयन—**

- डी०एल०एड० प्रशिक्षण हेतु एन०सी०टी०ई० द्वारा डायट एवं निजी संस्थानों हेतु अनुमन्य सीटों पर कला/विज्ञान, पुरुष/महिला का विभाजन किये बिना समस्त आवेदकों का चयन मेरिट द्वारा किया जायेगा।
- एन०सी०टी०ई० से मान्यता तथा प्रदेश शासन से सम्बद्धता प्राप्त ऐसी निजी संस्थायें, जो केवल महिलाओं हेतु हैं, में महिला अभ्यर्थी ही चयनित की जायेंगी।**

4— **आवेदन के लिए अर्हता, आयु एवं निवास –**

- शैक्षिक अर्हता –** डी०एल०एड० प्रशिक्षण 2021 में चयन हेतु ऐसे अभ्यर्थी ऑन-लाइन आवेदन करने के पात्र होंगे, जिन्होंने आवेदन पत्र भरने के पूर्व माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/CBSE (सी.बी.एस.ई.)/ ICSE (आई.सी.एस.ई.) से मान्यता प्राप्त संस्थानों से हाईस्कूल व उसके समकक्ष तथा इन्टरमीडिएट व उसके समकक्ष घोषित परीक्षा एवं विधि द्वारा स्थापित एवं यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित

जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आमत्रित/भूतपूर्व सैनिक (स्वयं) के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 05 प्रतिशत की छूट होगी।

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा एवं COBSE (कोबसे) द्वारा अमान्य तथा यू०जी०सी० द्वारा फर्जी तथा अमान्य घोषित की गयी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों से किसी भी स्तर (हाईस्कूल, इन्टर तथा स्नातक) की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी आवेदन हेतु अहं नहीं माने जायेंगे। प्रदेश में 10+2+3 शिक्षा प्रणाली प्रचलित है। एकरूपता की दृष्टि से एक वर्षीय एवं द्विवर्षीय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन के पात्र नहीं होंगे।

शासनादेश सं० 7 /2016 /720 /15-7-2016 शिक्षा अनुभाग- 7, दिनांक 20.05.2016 द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन निर्मित परिषद, विनियमों के अध्याय बारह (परीक्षा संबंधी समान्य विनियम) के विनियम-17(7) में संशोधन करते हुए प्राविधिक शिक्षा परिषद उ०प्र० द्वारा संचालित तीन वर्षीय डिप्लोमा परीक्षा को माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्षता प्रदान की गयी है। अतः प्राविधिक शिक्षा परिषद उ०प्र० द्वारा संचालित तीन वर्षीय डिप्लोमाधारी इण्टरमीडिएट के समकक्ष माने जायेंगे।

- ii. **आयु** – आवेदन हेतु अभ्यर्थी की आयु जिस प्रशिक्षण सत्र के लिए आवेदन किया गया है, अर्थात् डी०एल०एड० प्रशिक्षण 2021 हेतु अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई 2021 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट न होगी। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जाति को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की सामान्य छूट होगी। दिव्यांग (विकलांग) अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की सामान्य छूट रहेगी। भूतपूर्व सैनिकों की आयु में छूट नियमानुसार “यदि सेना के किसी भूतपूर्व कर्मचारी द्वारा सेना में की गयी सेवा की सम्पूर्ण अवधि उसकी वास्तविक आयु में से घटा दी जाती है और यदि इस प्रकार घटायी गयी आयु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जाता है कि वह ऐसी सेवाओं तथा पदों पर भर्ती की आयु से सम्बन्धित शर्तों को पूरा करता है।”, देय होगी।
- iii. **निवास** – ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश से स्थायी निवासी हों। प्रवेश के समय होने वाले अभिलेखीय जाँच में अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि तक जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

5—आवेदन पत्र आमत्रित किया जाना –

- (i) अभ्यर्थियों से **e—आवेदन पत्र** आमत्रित करने हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा प्रदेश के दो बहुप्रसारित समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी।
- (ii) ऑन लाइन आवेदन के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। डाक द्वारा व अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार/मान्य नहीं होंगे।
- (iii) **e—आवेदन पत्र** का प्रारूप, चयन/प्रवेश की कार्यवाही हेतु निर्गत शासनादेश, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु सामान्य निर्देश एवं तकनीकी निर्देश, विज्ञापन में निर्दिष्ट वेबसाइट पर उपयोगार्थ सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। विज्ञापन में आवेदन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय तक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकेगा। आवेदन शुल्क जमा करने की निर्धारित तिथि तक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की नवीनतम तकनीक MOPS के माध्यम के आवेदन शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।
- (iv) **e—आवेदन पत्र** भरने की अंतिम निर्धारित तिथि के बाद के घोषित परीक्षाफल, शैक्षिक अंकपत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र एवं विशेष आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र प्रवेश के समय स्वीकार्य नहीं होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि तक इंटरनेट से प्राप्त अंकपत्र को मान्य करते हुए

- अभ्यर्थी से इस आशय का घोषणा पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि यदि भविष्य में सत्यापन के समय किसी भी प्रकार की विसंगति होती है तो उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- (v) अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में जो सूचनायें अंकित की जायेंगे/विभिन्न परीक्षाओं के जो अंक उल्लिखित किये जायेंगे/जिस श्रेणी के आरक्षण/विशेष आरक्षण का दावा किया गया होगा, उन्हीं का लाभ अभ्यर्थी को चयन में दिया जायेगा। ऑन-लाइन आवेदन में प्रविष्टियाँ अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण सावधानी के साथ भरी जानी चाहिये, क्योंकि यही चयन का आधार है। ऑन-लाइन रजिस्ट्रेशन के समय भरे गये विवरण का प्रिन्ट-आउट, ई-चालान/ऑन-लाइन पेमेंट का प्रिन्ट-आउट तथा पूर्ण आवेदन पत्र का प्रिन्ट-आउट अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें।
- (vi) अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश के समय ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व का निर्गत आरक्षण/विशेष आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी को उक्त आरक्षण/विशेष आरक्षण श्रेणी का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- (vii) यदि किसी अभ्यर्थी की अंकतालिका में प्राप्तांक/पूर्णांक के स्थान पर ग्रेड प्वाइंट का उल्लेख हो तो ऐसे अभ्यर्थी सम्बन्धित विश्वविद्यालय से ग्रेड प्वाइंट को प्रतिशत में कनवर्जन का फार्मूला ज्ञात कर तदनुसार प्रतिशत निकाल लेंगे तथा प्रतिशत को अंकों में परिवर्तित कर पूर्णांक एवं प्राप्तांक का उल्लेख करेंगे। पूर्णांक एवं प्राप्तांक के आधार पर प्रतिशत वही आना चाहिए जो ग्रेड प्वाइंट को प्रतिशत में कनवर्जन करने पर आता है। ऐसे अभ्यर्थियों को कुल सचिव/सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ग्रेड प्वाइंट के समतुल्य प्राप्तांक प्रतिशत तथा ग्रेड प्वाइंट को प्रतिशत में परिवर्तित करने का सूत्र (फॉर्मूला) अभिलेखीय जाँच के समय साथ लाना होगा।
- (viii) अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रविष्टियों में संशोधन का कोई अवसर देय नहीं होगा। इसके लिए अनिवार्य है कि अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन को फाइनल सेव करने से पूर्व, ऑनलाइन अंकित प्रविष्टियों का अभिलेखों से मिलान अवश्य कर ले। अभ्यर्थियों से रजिस्ट्रेशन को फाइनल सेव करने से पूर्व इस आशय के घोषणा पत्र को चयन करना अनिवार्य होगा कि – मैंने ऑनलाइन आवेदन के अंतर्गत किये गये रजिस्ट्रेशन का प्रिंट निकाल कर उसमें की गयी प्रविष्टियों का मिलान मूल अभिलेखों से कर लिया है एवं उसे सही पाया है तथा मैं अपने रजिस्ट्रेशन को फाइनल सेव करने हेतु पूर्णतः सहमत हूँ फाइनल सेव होने के उपरान्त मुझे अपने आवेदन में संशोधन करने का कोई अवसर देय नहीं होगा।
- उक्त घोषणा पत्र को चयन करने के उपरान्त अभ्यर्थी के मोबाइल पर भेजे गये OTP को Verify करके अभ्यर्थी को अपना आवेदन पूर्ण करना होगा इसके लिए अनिवार्य है कि अभ्यर्थी आवेदन के समय अपने सही मोबाइल नं० का अंकन करें।
- (ix) प्रवेश के समय अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्र में अंकित विवरण की सत्यता के सम्बन्ध में यह अनुबंध पत्र दिया जायेगा कि यदि उसके द्वारा अंकित किया गया विवरण त्रुटिपूर्ण/असत्य है, तो न केवल उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा, अपितु उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा यह भी घोषणा की जायेगी कि आवेदन पत्र प्रेषण की तिथि को उसके पास आवेदन पत्र में उल्लिखित समस्त अंकपत्र, आरक्षण एवं विशेष आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं। आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम निर्धारित तिथि के बाद की तिथि का निर्गत कोई भी अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी को अपनी पहचान (Identity) के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पासपोर्ट, बैंक की फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त राशन कार्ड, यूआईडी० में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।

6— चयन/अभिलेखीय जाँच की प्रक्रिया—

- (i) डी०एल०एड० प्रशिक्षण-२०२१ हेतु चयन मेरिट के आधार पर किया जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र में उल्लिखित हाईस्कूल, इंटरमीडिएट व स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक

- प्रतिशत के योग के आधार पर गुणांक का आगणन करते हुये श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी तथा वरीयताक्रम में वर्ग/श्रेणीवार चयन की कार्यवाही की जायेगी। गुणांक के आगणन में प्रत्येक परीक्षा के प्रतिशत को दशमलव के दो अंकों में पूर्णांकित (round off) किया जायेगा। चयन के समय यदि एक ही वर्ग/श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के गुणांक बराबर आते हैं तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी। गुणांक तथा आयु भी समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अभ्यर्थी के नाम अनुसार वरीयता दी जायेगी।
- (ii) जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों तथा एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त एवं राज्य सरकार से सम्बद्धता प्राप्त निजी डी0एल0एड0 संस्थानों के लिए आवंटित सीटों के प्रति प्रशिक्षण हेतु संस्थान का ऑन-लाइन आवंटन एन0आई0सी0 लखनऊ द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जायेगा।
 - (iii) प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों एवं सम्बद्धता प्राप्त निजी डी0एल0एड0 संस्थानों में वर्गवार/श्रेणीवार आवंटित सीटों की संख्या (सीट मैट्रिक्स) निर्धारित वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी। अभ्यर्थियों द्वारा उक्त सीट मैट्रिक्स के माध्यम से ही प्रशिक्षण हेतु संस्था का ऑन लाइन विकल्प मांगा जायेगा।
 - (iv) संस्था आवंटन हेतु ऑन-लाइन विकल्प भरने सम्बन्धित सामान्य निर्देश एवं तकनीकी निर्देश निर्दिष्ट वेबसाइट पर उपयोगार्थ सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। **अन्तिम निर्धारित तिथि एवं समय तक ही ऑन-लाइन विकल्प भरा जा सकेगा।**
 - (v) सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा प्रवेश प्रक्रिया से लेकर प्रशिक्षण प्रारम्भ कराने की निर्धारित तिथि की सूचना एकीकृत रूप से उत्तर प्रदेश के बहुप्रसारित समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में प्रकाशित की जायेगी।
 - (vi) अभ्यर्थियों के प्रवेश के समय ही अभिलेखीय जाँच अभ्यर्थियों को आवंटित संस्था द्वारा सम्पादित करायी जायेगी। अभिलेखों की जाँच का तात्पर्य डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु प्रवेश की सुनिश्चितता नहीं है। डी0एल0एड0 प्रशिक्षण में प्रवेश मेरिट के आधार पर रिक्तियों के सापेक्ष ही किया जायेगा।
 - (vii) यदि प्रवेश हेतु संस्तुत अभ्यर्थी अपने आवंटित कालेज में निर्धारित अवधि तक उपस्थित नहीं होते हैं तो प्रवेश के अग्रिम चरण में सम्बन्धित कालेज में प्रवेश हेतु मेरिट एवं विकल्प के आधार पर अन्य अभ्यर्थी संस्तुत किये जायेंगे। प्रवेश हेतु अभिलेखीय जाँच से सभी सीटे भर जायें, इसके लिए आवश्यक है कि निजी संस्थान अपने वेवसाइट को प्रतिदिन अपडेट (अद्यतन) करते रहें तथा सीटों की संख्या, प्रवेशित छात्रों की संख्या, रिक्त सीटों की संख्या तथा बैंक एकाउन्ट के विवरण अपने वेवसाइट पर भी प्रदर्शित करते रहें।
 - (viii) जिस अभ्यर्थी को अभिलेखीय जाँच से प्रवेश हेतु मेरिट एवं विकल्प के आधार पर कालेज आवंटित कर दिया जाये वह अपने आवंटित कालेज के बैंक एकाउन्ट में अभिलेखों की जाँच के दिनांक से 03 दिन के अन्दर शुल्क जमा करेंगे तत्पश्चात अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखीय जाँच अर्थोरिटी/आवंटित सम्बन्धित संस्थान के समक्ष शुल्क जमा करने का साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे।
यदि कोई अभ्यर्थी अपने लिए आवंटित कालेज के एकाउन्ट में शुल्क जमा करने में कोई कठिनाई पाता है तो वह शीघ्र अभिलेखीय जाँच अर्थारिटी अर्थात् अभ्यर्थी को आवंटित संस्था या सम्बन्धित कालेज या सम्बन्धित डायट से सम्पर्क करेंगे
 - (ix) **प्रवेश हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी –**
 - a) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित हाईस्कूल, इंटरमीडिएट व स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत के योग के आधार पर गुणांक का आगणन करते हुये अवरोही क्रम में मेरिट लिस्ट सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा एन0आई0सी0 लखनऊ के सहयोग से तैयार की जायेगी।

- b) मेरिट लिस्ट में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों की एन0आई0सी0 लखनऊ द्वारा स्टेट रैंक निर्धारित की जायेगी, जो चयन का आधार होगा।
- c) निर्धारित स्टेट रैंक के अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में प्रशिक्षण हेतु अपनी पसन्द (Choice) के प्रशिक्षण संस्थानों का विकल्प ऑन लाइन पूरित करेंगे। प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने के उपरान्त अभ्यर्थियों के शैक्षिक गुणांक की मेरिट/स्टेट रैंक एवं अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये प्रशिक्षण संस्थान की विकल्प के वरीयता क्रम में एन0आई0सी0 लखनऊ द्वारा सीट आवंटन हेतु प्रॉसेसिंग की जायेगी।
- d) अभ्यर्थी स्वयं अपने स्तर से निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से संस्थान का विकल्प ऑनलाइन चयन (च्वाइस फिलिंग/च्वाइस लॉक) करेंगे। अभ्यर्थी के विकल्प चुनने की संख्या पर कोई बाध्यता नहीं है, वह एक बार में ही उपलब्ध समस्त संस्थानों का विकल्प वरीयता क्रम में चुन सकता है। जिससे उसकी मेरिट के सापेक्ष चुने हुये विकल्पों में से किसी एक प्रशिक्षण संस्थान का आवंटन किया जा सके।
- e) अभ्यर्थी की मेरिट के अनुसार प्रशिक्षण हेतु आवंटित संस्था में अभिलेखीय जॉच/प्रवेश की कार्यवाही के लिए आवंटन पत्र (Allotment Letter) प्रिंट करने हेतु अभ्यर्थी को ₹0 10,000 (₹0दस हजार मात्र) का भुगतान वेबसाइट पर दिये गये SBI Link का प्रयोग कर, करना होगा। भुगतान पूर्ण होने के उपरान्त ही अभ्यर्थी आवंटित प्रशिक्षण संस्थान का आवंटन पत्र (Allotment Letter) प्रिंट कर सकेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा किये गये भुगतान का समायोजन उनके प्रशिक्षण शुल्क से कर दिया जायेगा। आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभ्यर्थी के प्रवेश न लेने व किसी भी प्रकार की अभिलेखीय विसंगति पाये जाने पर उक्त शुल्क ₹0 10,000 किसी भी परिस्थिति में वापस (Refund) नहीं होगा।
- f) अभ्यर्थी उक्त आवंटन पत्र के साथ अभिलेखीय जॉच/प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि को आवंटित संस्थान में अपने समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर प्रवेश सम्बन्धित कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।
- g) अभ्यर्थी द्वारा ही प्रशिक्षण हेतु संस्थान का विकल्प दिया गया है अतः अभ्यर्थी के स्टेट रैंक (मेरिट) एवं भरे गये प्रशिक्षण संस्थान के विकल्प की वरीयता से संस्थान/सीट का आवंटन होने के पश्चात्, अभ्यर्थी को आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। एक बार प्रशिक्षण संस्थान का आवंटन होने के पश्चात् अभ्यर्थी को प्रवेश के अगले चरण/प्रक्रिया में पुनः प्रशिक्षण संस्थान का ऑनलाइन विकल्प भरने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।
- h) आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश न लिये जाने व किसी भी प्रकार की अभिलेखीय विसंगति पाये जाने पर, उनके द्वारा ₹0 10000 के भुगतान किये गये शुल्क को किसी भी स्थिति में वापस (Refund) नहीं किया जाएगा और साथ ही उस अभ्यर्थी को प्रवेश/काउंसिलिंग/प्रशिक्षण संस्थान का ऑनलाइन विकल्प भरने के अग्रिम चरण, में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- i) निर्धारित स्टेट रैंक के अभ्यर्थी को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प दिये जाने के बाद यदि अभ्यर्थी को कोई प्रशिक्षण संस्थान आवंटित नहीं होता है तो ऐसे अभ्यर्थी को प्रवेश/काउंसिलिंग/प्रशिक्षण संस्थान का ऑनलाइन विकल्प भरने के अग्रिम चरण, में अवसर प्रदान किया जायेगा।
- j) प्रथम चरण की चयन प्रक्रिया के बाद बची सीटों पर द्वितीय राउण्ड में वर्ग/श्रेणी में अवशेष सीटों के सापेक्ष ही चयन का अवसर दिया जायेगा। यदि प्रथम राउण्ड में चयनित/मेरिट का अभ्यर्थी अपनी गलती/शिथिलता के कारण सीट का विकल्प नहीं दे पाया, तो वह भी द्वितीय राउण्ड में वर्ग/श्रेणी में अवशेष सीटों के सापेक्ष चयन हेतु विचारित होगा।
- k) अभ्यर्थी द्वारा भरे गये विकल्पों के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया से जो संस्थान/सीट आवंटित होता है, तो उस संस्थान के प्राचार्य का दायित्व होगा कि वह अभ्यर्थी की फोटो पहचान पत्र, शैक्षिक अभिलेख, जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण नियमों की पूर्ति आदि से संतुष्ट हो

लें और प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि तक प्रशिक्षण शुल्क ई—पेमेंट/बैंक ड्राफ्ट से जमा कराते हुए, प्रवेश लिये गये अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर उपलब्ध कॉलेज लॉगिन के माध्यम से ऑनलाइन लॉक करना सुनिश्चित करें।

- 1) संस्थानों द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि तक एन0आई0सी0 लखनऊ द्वारा निर्मित वेबसाइट पर उपलब्ध कॉलेज लॉगिन पर, जितने प्रवेश हुए हैं उन्हें रिपोर्ट/लॉक करना अनिवार्य होगा जिससे प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर संस्था में आवंटित सीटों के सापेक्ष हुए प्रवेश के पश्चात् रिक्त सीटों पर, प्रवेश प्रक्रिया के अग्रिम चरण में आवंटन किया जा सके। संस्थानों द्वारा ससमय सही सूचना उपलब्ध नहीं कराने/लॉक न करने पर, प्रवेश के अग्रिम चरण में उस संस्था में छात्रों का आवंटन नहीं किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में कोई भी प्रत्यावेदन प्रवेश प्रक्रिया के अग्रिम चरण में स्वीकार नहीं होंगे जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान का होगा।
- m) चयन हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् कोई चयन नहीं किया जायेगा। चूँकि अभ्यर्थी द्वारा ही अपनी स्वेच्छा से प्रशिक्षण हेतु संस्थान/सीट का विकल्प दिया जाता है, अतः प्रवेश/चयन की कार्यवाही के अन्तर्गत, अंतिम चरण की काउंसिलिंग हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के उपरान्त किसी डायट/निजी डी0एल0एड0 प्रशिक्षण संस्थान की सीट खाली रह जाने की जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी।
निजी संस्थानों द्वारा प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची उनके समस्त विवरण एवं अभिलेख के साथ अपने जनपद के प्राचार्य डायट को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करायी जायेगी तथा प्राचार्य डायट का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे निजी संस्थानों द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रवेशित अभ्यर्थियों के मेरिट, वर्ग/श्रेणी व आवेदन इत्यादि की जाँच भली—भाँति कर लें।

7— निर्धारित शुल्क—

- i. ऑन—लाइन आवेदन पंजीकरण करने के बाद आवेदक ऑन—लाइन पंजीकरण संख्या के सापेक्ष, भारतीय स्टेट बैंक की बेबसाइट के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करेंगे।
- ii. आवेदन शुल्क का भुगतान अभ्यर्थी द्वारा नगद/इंटरनेट बैकिंग/ए0टी0एम0 कार्ड/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ई—चालान/ऑनलाइन माध्यम द्वारा पंजीकरण के उपरान्त स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की MOPS तकनीक के द्वारा तुरन्त किया जा सकेगा। आवेदन शुल्क जमा करने हेतु बैंक द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क अभ्यर्थी द्वारा देय होगा।
- iii. आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त ही अभ्यर्थी का डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु ऑनलाइन आवेदन पूर्ण माना जायेगा। अभ्यर्थी आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त, प्राप्त Bank Reference Numbar के माध्यम से अपने पूर्ण किये गये आवेदन का प्रिंट ले सकते हैं। ई—चालान/ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन शुल्क, आवेदन हेतु निर्धारित वेबसाइट पर दिये गये स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया लिंक के अलावा किसी भी अन्य बैंक/माध्यम से जमा किया जाना सम्भव नहीं होगा।
- iv. ऑन—लाइन आवेदन केन्द्रीयकृत पैटर्न पर प्राप्त किये जायेंगे।
- v. डी0एल0एड0 प्रशिक्षण में e—आवेदन हेतु आवेदन शुल्क निम्नवत होगा –

सामान्य/अन्य पिछ़ा वर्ग श्रेणी	रु0 500
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	रु0 300
विकलांग श्रेणी	रु0 100

निर्धारित शुल्क को ई—चालान/ऑन लाइन माध्यम से (ई—चालान की धनराशि अभ्यर्थी द्वारा नगद/इंटरनेट बैकिंग/ए0टी0एम0 कार्ड/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से) द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की किसी भी शाखा में जमा किया जा सकेगा।

- vi. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन शुल्क का भुगतान किये जाने एवं आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के उपरान्त किसी भी स्थिति में जमा किया गया, आवेदन शुल्क वापस (Refund) नहीं किया जाएगा।

8— आरक्षण—

- i. अभ्यर्थियों के चयन में चयन की तिथि को राज्य सरकार की विद्यमान आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण व्यवस्था की जायेगी।
- ii. आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3 (3) के अनुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उक्त सीट को आपस में क्रमशः अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति से भरा जा सकता है।
- iii. विकलांगों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों तथा भूतपूर्व सैनिकों (स्वयं) का कोटा चयन की तिथि को उपलब्ध अद्यतन उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993, 1997 तथा 1999 (यथा संशोधित) के अनुसार होगा।
- iv. विशेष आरक्षण श्रेणी के अंतर्गत अर्ह आवेदक उपलब्ध न होने पर उक्त सीटों को श्रेणीवार अर्ह अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।
- v. डी०एल०एड० प्रशिक्षण के अन्तर्गत वर्गवार/श्रेणीवार अनुमन्य सीटों को शत-प्रतिशत भरे जाने के उद्देश्य से, आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त, आरक्षित श्रेणी (पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति/जनजाति/विशेष आरक्षित श्रेणी) के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर, उक्त आरक्षित श्रेणी की रिक्त सीटों को सामान्य वर्ग की सीटों पर परिवर्तित करते हुए प्रवेश की कार्यवाही सम्पादित करायी जायेगी।

9— प्रवेश प्रक्रिया —

- (i) प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण हेतु संस्थान आवंटित किये जाने के पश्चात् प्रवेश / चयन का समस्त कार्य सम्बन्धित जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान/निजी संस्थान के प्राचार्य द्वारा शासनादेश एवं आरक्षण नियमों के अनुसार ही किया जायेगा।
- (ii) उत्तर प्रदेश के निम्नवत् जनपदों, जहां स्थापित जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डायट) को एन०सी०टी०ई० द्वारा डी०एल०एड० प्रशिक्षण हेतु सीटों की मान्यता प्राप्त नहीं है अथवा नवसृजित जनपदों, जहां जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) की स्थापना नहीं हो सकी है (कॉलम-1), उक्त जनपद जिस अविभाजित पूर्व/मूल जनपद का हिस्सा है (कॉलम-2)।

कॉलम-1	कॉलम-2
कासगंज	डायट, हरचन्दपुरकला-एटा
संतकबीरनगर	डायट, प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स-बस्ती
अम्बेडकरनगर	डायट, अयोध्या
बलरामपुर	डायट, दर्जीकूआँ-गोण्डा
हमीरपुर	डायट, चरखारी-महोबा
अमेठी	डायट-सुल्तानपुर
गाजियाबाद	डायट-हापुड़
शामली	डायट-मुजफ्फरनगर
सम्पल	डायट, कांठ-मुरादाबाद

उपरोक्त कॉलम-1 के जनपदों के अभ्यर्थियों की डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2018 की अभिलेखीय जाँच/चयन प्रक्रिया कॉलम-2 के जनपद के प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संपादित की जाएगी।

- (iii) प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों के प्रवेश के समय आवेदन पत्र पर चर्स्पा फोटो से अभ्यर्थी का मिलान कर लिया जाय तथा उसकी पुष्टि फोटो आई0डी0 से भी की जाय। बाद में उनके मूल अभिलेखों की जाँच/सत्यापन भी सम्बन्धित निर्गमन संस्थाओं से प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रत्येक स्थिति में प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के पहले कराया जायेगा। चयन/जाँच/ प्रवेश/प्रशिक्षण/नियुक्ति किसी भी स्तर पर विसंगति पाये जाने पर चयनित/ छद्म तरीके से चयन प्रक्रिया में आने की पुष्टि हाने पर प्रशिक्षित/ प्रशिक्षणोपरान्त नियुक्त अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराते हुये विधिक कार्यवाही की जायेगी।

10— प्रशिक्षण शुल्क—

- i. डी0एल0एड0 (बी0टी0सी0) प्रशिक्षण दो वर्षीय नियमित अनावासीय (Regular) प्रशिक्षण है, जिसमें चार सेमेस्टर हैं। डायट के चयनित अभ्यर्थियों हेतु प्रशिक्षण शुल्क प्रतिवर्ष रु0 10,200/- होगा। उक्त शुल्क का मदवार विवरण संलग्न है।
- ii. निजी संस्थानों हेतु शासनादेश संख्या—1441/15—11—2014 दिनांक 10 सितम्बर, 2014 के अनुसार प्रशिक्षण शुल्क प्रतिवर्ष 41,000/- होगा।
- iii. निजी संस्थानों द्वारा अभ्यर्थियों से निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने की उसकी पुष्टि होने पर उनकी सम्बद्धता शासन द्वारा समाप्त कर दी जाएगी, जिसके लिए निजी संस्थान स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- iv. प्रशिक्षण अनावासीय होगा। अतः आवास/छात्रावास हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- v. प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण अवधि में किसी प्रकार का मानदेय (स्टार्टअपेण्ड) देय नहीं होगा।

11— अल्पसंख्यक संस्थान—

एन0सी0टी0ई0 से डी0एल0एड0 (बी0टी0सी0) प्रशिक्षण हेतु मान्यता तथा राज्य सरकार से सम्बद्धता प्राप्त ऐसे निजी संस्थान, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक संस्थान घोषित किया गया है, उन अल्पसंख्यक संस्थाओं द्वारा आवंटित सीटों (एन0सी0टी0ई0 द्वारा आवंटित सीट संख्या) के सापेक्ष 50 प्रतिशत सीटों पर शासनादेश सं0 653/15—11—2015 दिनांक 10.06.2015 तथा यथासंशोधित शासनादेश सं0 612/15—11—2017 दिनांक 25.05.2017 एवं समय समय पर निर्गत शासनादेशों तथा निर्देशों के अनुसार 50 प्रतिशत सीटों पर अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा स्वयं प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। प्रवेश की कार्यवाही किये जाने हेतु दिशानिर्देश निम्नवत् हैं –

- (i) अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा 50 प्रतिशत सीटों पर स्वयं प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी तथा प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये जाएंगे, जिसके सम्बन्ध में तीन प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन भी अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा स्वयं किया जाएगा।
- (ii) अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा प्रवेश की कार्यवाही, प्रदेश में डी0एल0एड0 प्रशिक्षण सत्र हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित समय—सारिणी के अनुसार ही सम्पादित करायी जाएगी तथा अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा प्रवेश लिये गये अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण भी प्रदेश के डायट/निजी डी0एल0एड0 संस्थानों में प्रवेशित समस्त अभ्यर्थियों के साथ ही प्रारम्भ होगा। निर्धारित तिथि के उपरान्त अल्पसंख्यक संस्थानों को प्रवेश हेतु कोई भी अतिरिक्त समय देय नहीं होगा।
- (iii) अल्पसंख्यक संस्थाओं में डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु प्रवेश/चयन, एन0सी0टी0ई0 द्वारा सम्बन्धित संस्था को आवंटित सीटों के सापेक्ष 50 प्रतिशत सीटों पर मेरिट के अनुसार किया जायेगा तथा प्रवेश में मेरिट को इन्नोर नहीं किया जायेगा।

- (iv) अल्पसंख्यक संस्थानों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के आधार पर किया जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र में उल्लिखित हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट व स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत के योग के आधार पर गुणांक का आगणन करते हुये श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी तथा मेरिट के वरीयताक्रम में अल्पसंख्यक समुदाय के अर्ह अभ्यर्थियों की अधिमानता (Preference) को ध्यान में रखते हुए चयन की कार्यवाही की जायेगी।
- (v) चयन में किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो इस हेतु पारदर्शी प्रक्रिया तथा प्रचिलित नियमों का पालन किया जायेगा। इस हेतु अल्पसंख्यक संस्था द्वारा एक प्रवेश समिति बनाई जायेगी जिसमें प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सम्बन्धित जनपद द्वारा निर्दिष्ट एक प्रतिनिधि भी सम्मिलित किया जायेगा।
- (vi) प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के उपरान्त, अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा डी०एल०एड० प्रशिक्षण हेतु निर्धारित विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये लॉगिन एवं पासवर्ड के माध्यम से प्रवेश लिये गये अभ्यर्थियों की सूचना ऑनलाइन फीड/अपलोड की जाएगी। प्रवेश लिये गये अभ्यर्थियों की सूचना निर्धारित अवधि तक विभागीय वेबसाइट पर फीड न किये जाने पर, लिया गया प्रवेश मान्य नहीं किया जाएगा।
- (vii) अल्पसंख्यक संस्थाओं द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक लिये गये प्रवेश की सूचना वेबसाइट पर फीड/अपलोड किये बिना यदि किसी अभ्यर्थी का प्रवेश कर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, तदसम्बन्धित शिकायत/सूचना प्राप्त होने अथवा लिये गये प्रवेश के सम्बन्ध में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर, अल्पसंख्यक संस्थान के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
- (viii) उ०प्र० शासन द्वारा अनुमोदित डी०एल०एड० पाठ्यक्रम अवधि, परीक्षा पद्धति को स्वीकार करते हुए तदनुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था सम्बन्धित अल्पसंख्यक संस्था द्वारा की जायेगी।
- (ix) सम्बन्धित अल्पसंख्यक संस्था में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही प्रशिक्षुओं की परीक्षा सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उ०प्र० प्रयागराज द्वारा सम्पादित करायी जायेगी।
- (x) अल्पसंख्यक संस्थानों में प्रवेश लिये जाने हेतु अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता, आयु एवं अन्य मानक, उ०प्र० शासन द्वारा डी०एल०एड० प्रशिक्षण हेतु निर्गत शासनादेश के निर्धारित मानक के अनुसार ही मान्य होंगे साथ ही अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा कार्यालय, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र० प्रयागराज द्वारा प्रवेश/चयन एवं प्रशिक्षण के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

12— ऑन—लाइन आवेदन प्रक्रिया सम्बन्धी कार्य एवं दायित्व –

- (i) ऑन लाइन आवेदन एवं चयन की प्रक्रिया हेतु सॉफ्टवेयर के निर्माण एवं विकास का कार्य राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा किया जायेगा।
- (ii) आवेदन की प्रक्रिया की विशिष्टताओं आदि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपेक्षित सूचनाओं की सुलभता सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा एन०आई०सी०, लखनऊ को करायी जायेगी, जिससे ऑन—लाइन आवेदन हेतु उत्तम एवं प्रभावी सॉफ्टवेयर को विकसित कराया जा सके।
- (iii) ऑन—लाइन आवेदन प्रक्रिया के सापेक्ष आवेदन शुल्क स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के नवीनतम तकनीक द्वारा जमा किया जायेगा। आवेदन शुल्क व प्रवेश हेतु काउसलिंग शुल्क (धनराशि अभ्यर्थी द्वारा नगद/इंटरनेट बैंकिंग/ए०टी०एम० कार्ड/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से) जमा किये जाने हेतु स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का पेमेंट लिंक, एन०आई०सी० लखनऊ द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर/विभाग द्वारा प्रवेश हेतु निर्दिष्ट वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।
- (iv) एन०आई०सी०, लखनऊ द्वारा डी०एल०एड० प्रशिक्षण के लिए आवेदन हेतु विकसित सॉफ्टवेयर के क्रम में आवश्यक कार्यवाही के अनुश्रवण हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को लॉग—इन आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जायेगा।

12— डीएलएडो प्रशिक्षण 2021 हेतु निर्धारित समय—सारिणी —

1	सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उ०प्र० प्रयागराज द्वारा आनलाईन आवेदन हेतु एकीकृत रूप से विज्ञापन प्रकाशित कराना	15 जुलाई, 2021
2	आनलाईन रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ करने/आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारम्भ तिथि	दिनांक 20 जुलाई 2021 (अपराह्न से)
3	आनलाईन रजिस्ट्रेशन करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 10 अगस्त 2021
4	ऑलनलाईन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 11 अगस्त 2021
5.	ऑनलाईन आवेदन पूर्ण कर प्रिंट लेने की अंतिम तिथि	दिनांक 12 अगस्त 2021
6	अभ्यर्थियों के वर्गवार/श्रेणीवार मेरिट के क्रम में राजकीय एवं निजी संस्थानों में आवंटित सीटों के सापेक्ष चयन हेतु अभ्यर्थियों से संस्थान का विकल्प लेने एवं अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये विकल्प के क्रम में एन०आई०सी० लखनऊ द्वारा संस्थान आवंटित करने हेतु काउंसलिंग का प्रथम चरण	दिनांक 18 अगस्त 2021 से 30 अगस्त 2021 तक
7	काउंसलिंग के प्रथम चरण के अन्तर्गत आवंटित संस्थान में अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेखीय जॉच एवं प्रवेश की कार्यवाही करना प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूचना सम्बन्धित संस्थान द्वारा वेबसाइट पर अपलोड किया जाना	दिनांक 06 सितम्बर 2021 तक
8	प्रशिक्षण प्रारम्भ	दिनांक 07 सितम्बर 2021 से
9	अभ्यर्थियों के वर्गवार/श्रेणीवार मेरिट के क्रम में राजकीय एवं निजी संस्थानों में यदि सीटें अवशेष रह जाती हैं, तो रिक्त सीटों के सापेक्ष चयन हेतु अभ्यर्थियों से संस्थान का विकल्प लेने एवं अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये विकल्प के क्रम में एन०आई०सी० लखनऊ द्वारा संस्थान आवंटित करने हेतु काउंसलिंग के द्वितीय चरण की तिथि	दिनांक 13 सितम्बर 2021 से 24 सितम्बर 2021 तक
10	द्वितीय चक्र में आवंटित संस्थान में अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेखीय जॉच एवं प्रवेश की कार्यवाही करना तथा प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूचना वेबसाइट पर अपलोड किया जाना	दिनांक 28 सितम्बर 2021 तक
11	द्वितीय चक्र में प्रवेशित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण प्रारम्भ	दिनांक 29 सितम्बर, 2021 से

सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ०प्र०, प्रयागराज